

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2016/माघ 15, 1937

No. 320]

NEW DELHI, THURSDAY FEBRUARY 4, 2016/MAGHA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2016

का.आ. 368(अ).— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवसाय, जिसमें बैंकिंग कंपनी को शामिल किया जाना विधि संगत है, के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई” को निर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 7/5/2016-बीओए]

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2016

S.O. 368(E).— In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (1) of Section 6 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies “dealing in Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) as a form of business in which it is lawful for a banking company to engage”.

[F. No. 7/5/2016-BOA]

MOHAMMAD MUSTAFA, Jt. Secy.

578 GI/2016